

पत्रांक- वाई.ई.ए./ सम्पत्ति/2021/14

दिनांक: 6.07.2021

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-70/14 दिनांक 28.06.2021 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में आवासीय भवन योजना बी0एच0एस0-02 एवं बी0एच0एस-03 में क्षेत्रफल 54.75 वर्गमीटर के आवंटियों को रिफण्ड किये जाने की समय सीमा में विस्तरण अनुमन्य किये जाने विषयक संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है कि

“वैश्विक महामारी कोविड के दृष्टिगत BHS02/2013 एवं BHS03/2014 योजनाओं में आवंटित 54.75 वर्गमीटर क्षेत्रफल के आवंटियों को रिफण्ड हेतु अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया, इच्छुक आवंटी योजनाओं के ब्रोशर में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अधीन दिनांक 31 अगस्त 2021 तक 04 प्रतिशत साधारण ब्याज ब्याज सहित (Penal Intrest छोड़कर व डिफाल्ट धनराशि की कटौती के उपरान्त) रिफण्ड हेतु आवेदन कर सकते हैं।”

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

(रविन्द्र सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम0) महोदय के सूचनार्थ।
- 3 विशेष कार्याधिकारी (एस0जी0/एस0बी0/एम0) महोदय के सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक (वित्त/परियोजना/नियोजन) के सूचनार्थ।
- 5 विधि अधिकारी के सूचनार्थ।
- 6 प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से कि विकल्प की सूचना प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 7 स्टाफ आफिसर (मार्केटिंग) को इस आशय से कि उक्त सूचना किन्ही दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 8 गार्ड फाइल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी